



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 393 राँची, शुक्रवार,
24 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
14 जून, 2024 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
14 जून, 2024

पत्रांक-ख०नि०(विविध०)-69/2022-1006-एम०, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा-23(C) के अन्तर्गत राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित नियमावली के नियम 9(1) के अनुसार उत्खनित खनिजों का रेल मार्ग से परिवहन भी JIMMS Portal से प्राप्त परिवहन चालान के माध्यम से ही किया जाना है। इस संदर्भ में खान एवं भूतत्व विभाग एवं विभिन्न उपायुक्त/जिलास्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से भी वैध ई-चालान के साथ खनिजों के परिवहन हेतु कई निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न स्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त हो रहे हैं कि रेलवे के माध्यम से बिना वैध चालान के भारी मात्रा में खनिज का परिवहन/प्रेषण किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपायुक्त, दुमका के द्वारा रेलवे के माध्यम से रेलवे साईडिंग से बिना परमिट/चालान के पत्थर/चिप्स के परिवहन करने के संदर्भ में सूचनाएँ/आँकड़े भेजे गये हैं। इस अनियमितता में रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता परिलक्षित होता है। अतः राज्य अन्तर्गत विभिन्न खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जाँच एवं रोकथाम के लिए सुझाव देने हेतु खान एवं भूतत्व विभाग झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-325 दिनांक 01.03.2023 द्वारा एक सदस्यीय SIT (Special Investigation Team) का गठन किया गया।

The Commission of Inquiry Act, 1952 की धारा-3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार माननीय मुख्य न्यायाधीश (से०नि०) झारखण्ड उच्च न्यायालय श्री विनोद कुमार गुप्ता को गठित एक सदस्यीय SIT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

II. गठित SIT का कार्यकाल छः (6) माह का होगा। SIT अपना प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में तैयार कर दो प्रतियों में विभाग को उपलब्ध करायेगा।

III. गठित SIT को देय सुविधाएँ निम्नवत होंगी:-

- आयोग के अध्यक्ष को रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
- अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी।
- आयोग के कार्यालय हेतु एक सहायक, एक आदेशपाल, एक कम्प्युटर ऑपरेटर एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

IV. खान निदेशालय द्वारा उपरोक्त गठित SIT को जाँच हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

V. आयोग के अनुरोध पर जाँच की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए SIT के कार्यकाल की अवधि दिनांक 01.09.2023 से अग्रेतर छः (06) माह हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-1522 दिनांक 30.08.2023 द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ विस्तारित किया गया।

VI. आयोग के अनुरोध पर जाँच की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए SIT के कार्यकाल की अवधि दिनांक 01.03.2024 से अग्रेतर छः (06) माह हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-692 दिनांक 23.04.2024 द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ विस्तारित किया गया।

VII. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हो/-

सरकार के संयुक्त सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग।
